‘राज्य सरकार ने 10 माह के कार्यकाल में अनेकों योजनायें लागू की जिसका लाभ जनता को मिल रहा है’

कोटा, (निसं)। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में स्वतंत्र प्रभार के साथ ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर नें कोटा में गुरुवार अपरान्ह में पत्रकारवार्ता संबोधित की एवं वार्ता से पूर्व में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन नें उनका पार्टी दुपट्टा पहनाकर कर स्वागत किया। स्वागत संबोधन में शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के एवं प्रदेश में भजनलाल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश के हित में प्रतिदिन जन-जन को लाभ पहुचाने की दृष्टि से योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। जिसमें युवा, किसान, महिला एवं वरिष्ठजन के हित में सरकार ने 10 माह के कार्यकाल में अनेकों योजनायें लागू की जिसका लाभ जनता को मिल रहा है।

कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पत्रकारों से रूबरू हुए।

ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने वार्ता के दौरान कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षित-अशिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए अभियान प्रारंभ किया है। उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में युवाओं के सपनों को साकार करने का काम राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रथम प्रतिबद्धता से कर रही है। नागर ने कहा कि पूरे 5 साल तक कांग्रेस की गहलोत सरकार कुर्सी युद्ध में व्यस्त रही, उसने राजस्थान को सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस के कार्यकाल में नौजवानों को नौकरी देने की कोई योजना तक नहीं थी। गहलोत सरकार की ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक की भेंट चढ़ी, जिनके अपराधियों को वर्तमान भजनलाल सरकार अभी तक चुन-चुन कर पकड़ रही है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक से जुड़े बड़े-बड़े माफिया अब तक पकड़े जा रहे हैं, पेपरलीक में मछली ही नहीं मगरमच्छ भी पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार की 17 भर्ती परीक्षाओं में से पेपर लीक हुए उनमें से 8 परीक्षाएं रद्द भी हुई जिसमें 50 हजार से ज्यादा भर्तियां गहलोत सरकार को रद्द करनी पड़ीं थी।

राज्य मंत्री नागर में कहा कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में साल पूरा होने तक विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नौकरियां दे रही हैं। साल के अंत तक नौकरी देने के आंकड़ों को एक लाख से पार कर लिया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने अगले 2 साल तक के समय के लिए भर्ती कैलेंडर भी बना लिया है। ऊर्जा राज्य मंत्री नागर ने बताया राजस्थान सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और उद्योगों के साथ एमओयू करके राजस्थान में रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न करने की दिशा में प्रभावी कार्य कर रही है। इस हेतु बजट प्रावधान किए गए हैं तथा लगातार बड़े उद्योगपतियों से संपर्क कर एमओयू के द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, उन्हें प्रोत्साहन एवं उनकी समस्या समाधान के निस्तारण के लिए व्यापक कार्य योजना से काम कर रही है। स्टेट स्किल पॉलिसी, अटल इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप आदि की इक्विटी फंडिंग के द्वारा 100 करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा भी ऐतिहासिक निर्णय हैं। इसी के साथ सी ई टी पात्रता परीक्षा में 40 प्रतिशत का मानदंड तय किया गया हैं, वहीं माईनस मार्किग को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है।

नागर ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 70 संवर्गों में तिथिवार भर्ती घोषणा की है जो युवाओं के सपनों को साकार करने में सहायक होगी, पिछले 20 वर्षों में पहलीवार चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालकों की भर्ती होनें जा रही है। जो की विजन आफ यूथ एवं भजनलाल सरकार की युवानीति 2024 की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार एक लाख 11 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियां की विज्ञप्तियां जारी कर चुकी हैं, जिसमें 32 हजार से अधिक को पदस्थापित भी किया जा चुका हैं।

नागर ने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में चार लाख सरकारी नौकरियों और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ रोजगार देने के लक्ष्य से कार्य कर रही हैं। जो की राजस्थान के इतिहास में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा अभियान होगा तथा राजस्थान के युवा वर्ग की उन्नति और विकास के लिए भाजपा की भजनलाल सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। नागर ने कहा कि राजस्थान में भजनलाल सरकार पहली सरकार है जो लगातार अपने बजट घोषणाओं और चुनावी घोषणापत्र की घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है तथा 55 से 60 प्रतिशत वायदों को पूरा किया जा चुका है।

विजय संकल्प यात्रा शुरू

कोटा, (निसं)। ओम बिड़ला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर 17 अक्टूबर सुबह 12 बजे नयापुरा चौराहे से भाजपा कार्यकर्ता बृजेश योगी ने साइकिल द्वारा कोटा से संसदभवन दिल्ली के लिए विजय संकल्प यात्रा शुरू की।

नगर निगम, कोटा दक्षिण-उत्तर

131 वां राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा

श्री राम कथा

(कथावाचक पूज्य पं. विजय शंकर मेहता जी)

दोपहर 1:00 से 4:00 बजे | श्री राम रंगमंच | प्रायोजक: के.डी.ए.

हत्था माला प्रतियोगिता

रात्रि 7:00 बजे | विजय श्री रंगमंच

अखिल भारतीय कवि सम्मलेन

कविगण

श्री हरिओम पंवार, श्री सुरेंद्र शर्मा, श्रीमती अनामिका अंबर, श्री अरुण जैमिनी, श्री शशिकांत यादव, श्री सुदीप भोला, श्री जगदीश सोलंकी

रात्रि 8.30 बजे | विजय श्री रंगमंच | प्रायोजक: ALLEN मानधना परिवार

दिनांक : 18 अक्टूबर 2024, शुक्रवार

गरिमामयी उपस्थिति

श्री मदन दिलावर

माननीय शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री राजस्थान सरकार

आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं

विनीत : विवेक राजवंशी, अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य, मेला समिति

नगर निगम दक्षिण-उत्तर परिवार

अकेलगढ़ पेयजल प्लान्ट की वितरण उपखंडों में सप्लाई बंद

■ रूटिंग मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है

कोटा, (निसं)। उत्पादन उपखण्ड अकेलगढ़ स्थित पेयजल प्लान्ट की रूटिंग मरम्मत का कार्य कराए जाने के कारण गुरूवार, 18 अक्टूबर को दोपहर 12 से अपरान्ह 3 तक किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अकेलगढ़ प्लान्टों का शटडाउन लिया जाएगा। जिसके कारण जलापूर्ति बाधित रहेगी। आगामी जलापूर्ति कार्य पूरा होने के बाद जलापूर्ति सायंकाल को कम दबाव से की जाएगी तथा 19 अक्टूबर को सामान्य जल दबाव से जलापूर्ति की जाएगी।

अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खंड प्रथम मस्तराम मीणा ने बताया कि शटडाउन के दौरान वितरण उपखण्ड प्रथम के अन्तर्गत आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र नया कोटा शहर दादाबाड़ी, बसन्तविहार, योजना, गणेश तालाब, शिवपुरा, किशोरपुरा, केशवपुरा, जवाहर नगर, घोड़ा बस्ती एवं राजेन्द्र विहार, स्वामी विवेकानंद नगर (आरएचबी), विवेकानंद, टैगोर नगर, आर.के. पुरम, बोम्बे योजना, आर.के. पुरम ए,बी,सी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जी.ए.डी. कॉलोनी, दुर्गा बस्ती, साजीदेहड़ा, वक्फ नगर, जवाहर नगर डिस्ट्रीक्ट सेन्टर। वितरण उपखण्ड द्वितीय का सम्पूर्ण विज्ञान नगर सेक्टर 1 से 7, सम्पूर्ण संजय नगर, उड़िया बस्ती, गणेश बस्ती, छावनी, रामचन्द्रपुरा, तलवंडी, ए,बी,सी, सेक्टर व हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, इन्द्राविहार एवं राजीव गांधी नगर। वितरण उपखण्ड तृतीय का महावीर नगर प्रथम, महावीर नगर तृतीय सम्पूर्ण तथा प्रेमनगर, श्रीरामनगर, इन्द्रा कॉलोनी में पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी।

अधिशाषी अभियंता ने बताया कि रानपुर फीडर 800 एम.एम. राइजिंग पाइप लाइन पर पंडित दीनदयाल नगर, अनन्तपुरा योजना में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने लीकेज होने के कारण 18 अक्टूबर को रानपुर फीडर पर दोपहर 12:30 से सायं 6 बजे तक शटडाउन लिया जाना प्रस्तावित है। इसके कारण फीडर से जुड़े अनन्तपुरा उच्च क्षेत्र मद्रासी मोहल्ला, घौसी मोहल्ला, क्रेशर रोड़ एवं तलाब गांव बस्ती रंगबाड़ी गांव एवं इन्द्रप्रस्थ एरिया रोड़ नं. 1 से 7, कृषि उपज मंडी, मंडाना-बोराबास योजना, रानपुर औद्योगिक क्षेत्र आईआईटी रानपुरा आदि में जलापूर्ति बाधित रहेगी। अधिशाषी अभियंता ने उक्त क्षेत्र के पेयजल उपभोक्ताओं से आव्हान किया।

त्यौहारी सीजन में मावा, मिठाई, नमकीन, सोफ्टी के नमूने लिए

कोटा, (निसं)। दीपावली व दशहरा मेले में पर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले इसके प्रदेश भर में लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिससे खाद्य सामग्री विक्रेता मिलावटी सामग्री नहीं बेच सकें। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जा रहे हैं।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जगदीश सोनी द्वारा गठित टीम ने गुमानपुरा मावा मंडी में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरिक्षण कर 6 नमूने मावा के लिए।

गुमानपुरा स्थित नमकीन/मिठाई उत्पादन की ईकाईयों का निरिक्षण कर 18 नमूने नमकीन व 3 नमूने मिठाईयों के लिए गए। दशहरा मेले मे विभिन्न चाट, सोफ्टी व खाद्य पदार्थों के ठेलों व दुकानों का निरिक्षण करते हुए साफ सफाई के लिए पांबद किया एंव सभी खाद्य पदार्थ ढक कर रखने के लिए निर्देश प्रदान किये। दशहरा मेले से 5 सोफ्टी व एक कुल्फी का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिया गया।

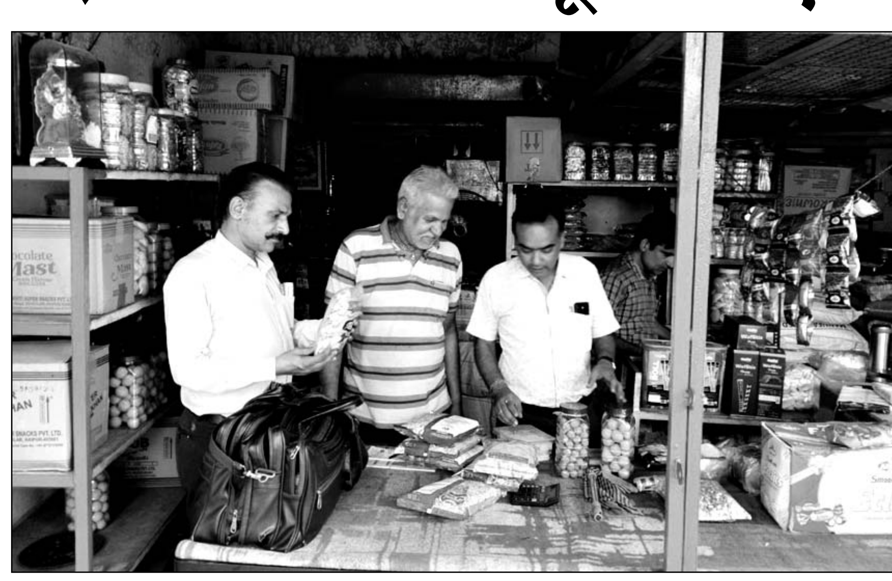
कोटा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं।

नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में मिलावट पाएं जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्यौहार तक लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, चंद्रवीर सिंह जादौन, नितेश गौतम मौजूद रहे।

स्मैक तस्करी के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना

कोटा, (निसं)। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने स्मैक तस्करी के दो आरोपीयों को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 25,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि दिनांक 6 मार्च 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने प्लेटफार्म नंबर 1 कोटा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नंबर 12415 इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से दो शख्सों को डिटेन किया। शख्सों से उनका नाम पता पूछा तो पहले शख्स ने अपना नाम अक्षय वत्स पुत्र श्रीकृष्ण शर्मा निवासी इन्दिरा कॉलोनी थाना सदर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का होना बताया तथा दूसरे शख्स ने अपना नाम अंकुर पुत्र सुरेश निवासी खंडलाना थाना तितरो जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का होना बताया। उनकी तलाशी ली तो दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की। स्मैक का शुद्ध वजन 50 ग्राम हुआ। जिसको जब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात दोनों अभियुक्तों अक्षय और अंकुर के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 14 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 48 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए दोनों अभियुक्तों अक्षय और अंकुर को 3 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 25,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।

अब कोटा-पटना एक्सप्रेस चार जनरल कोच के साथ चलेगी

कोटा, (निसं)। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त कोच स्थाई एवं अस्थाई रूप से लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में कोटा से संचालित गाड़ी संख्या 13237/13238 पटना-कोटा-पटना एक्सप्रेस पटना से 30 नवम्बर एवं कोटा से 01 दिसम्बर तथा गाड़ी संख्या 13239/13240 पटना-कोटा-पटना एक्सप्रेस पटना से 29 नवम्बर एवं कोटा से 30 नवम्वर से तीन सामान्य कोच की बजाय चार सामान्य कोच के साथ संचालित होगी। वर्तमान में यह गाड़ी 22 एलएचबी कोच जिसमे 3 सामान्य एवं 6 थर्ड एसी कोच में बदलाव करते हुए 4 सामान्य एवं 5 थर्ड एसी कोच उक्त तिथि से किया जा रहा है।

कोच कम्पोजीशन:- उक्त तिथी से कोटा-पटना-कोटा एक्सप्रेस अब 4 सामान्य कोच, 6 स्लीपर, 5 थर्ड एसी, 1 थर्ड एसी इकोनामी, 2 सेकेंड एसी, 1 फर्स्ट एसी, 1 पेंट्रीकार, 1 जनरेटरकार एवं 1 एसएलआरडी सहित कुल 22 एलएचबी कोच से चलेगी।

इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/ जनसम्पर्क अधिकारी-कोटा रोहित मालवीय ने बताया कि सर्व-संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन के कोच कम्पोजीशन में किए गए बदलाव की जानकारी स्टेशन, एनटीईएस अथवा रेल मदद 139 पर प्राप्त कर यात्रा करें।

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक बाहरी महंगी दवाईयां न लिखें : जिला कलेक्टर

कोटा, (निसं)। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान जयपुर से मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी जुड़े। उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए नियमित रूप से नारकोटिक्स की बैठकें आयोजित की जाएं। साथ ही, उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मेडिकल उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का नशे के रूप में दुरुपयोग न हो। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में परिवादियों की समस्याओं का सुनकर निस्तारण की प्रक्रिया की गई।

कोटा जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई कर आवश्यक निर्देश दिये।

मुख्य सचिव पंत ने उर्वरकों के वितरण को प्राथमिकता के आधार पर खेतों के क्षेत्रफल और कमी वाले क्षेत्रों में करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट समय पर और निष्पक्षता से कराया जाए ताकि प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना का लाभ किसानों तक सही रूप में पहुंच सकें। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के संपर्क पोर्टल पर निस्तारण की समय सीमा और संतोषजनक निस्तारण की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि जनता को न्यूनतम समय में गुणवत्तापूर्ण समाधान मिल सके।

जनसुनवाई में लगभग 192 प्रकरण आए, जिनमें से 67 परिवादों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। जनसुनवाई में मुख्यत: अतिक्रमण, कब्जा, मनरेगा, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, आवासन मंडल, नगर निगम, और कोटा विकास प्राधिकरण से संबंधित परिवाद आए। जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ.गोस्वामी ने प्रत्येक परिवादी की समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुना और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवाद का निष्पक्षता के साथ समाधान किया जाए। जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग पेंशन से संबंधित एक परिवादी के प्रकरण में कलेक्टर डॉ.गोस्वामी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त निदेशक सविता कृष्णिया को निर्देश दिए कि दिव्यांग व्यक्ति के घर पर ही भौतिक सत्यापन के लिए कार्मिक भेजे जाएं, जिसकी पालना तुरंत की गई।

रिहायशी इलाके में स्टोन कटर व्यवसाय से उत्पन्न परेशानी को लेकर कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जगदीश सोनी को यह निर्देश भी दिया कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक बाहरी महंगी दवाइयां न लिखें। कलक्टर ने उपस्थित परिवादियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि जो मामले न्यायपालिका या लोकायुक्त द्वारा विचाराधीन है, उनके निस्तारण में निर्णय आने के बाद ही पालना की जा सकेगी। ग्रामीण निवासियों को जिला मुख्यालय तक आने की परेशानी से बचाने के लिए उनसे अधिकारी कार्यालय में मिले एवं उनकी समस्या का समाधान करें। जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी, नगर निगम उत्तर आयुक्त अशोक त्यागी, नगर निगम दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव, केडीए सचिव कुशल कोठारी, उपखंड अधिकारी गजेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

लावारिस स्मार्ट फोन लौटाया

कोटा, (निसं)। मंडल में तैनात कर्मचारी अपनी ड्यूटी के साथ कई बार आमजन के हित में प्रशंसनीय सामाजिक सराहनीय कार्य करते है। इसी क्रम में कोटा स्टेशन पर नियमित सफाई कार्य के दौरान सफाई कर्मचारी सचिन को एक स्मार्ट मोबाइल फोन लावारिस हालत में मिला। जिसकी कीमत तकरीबन 18 हजार रूपए थी। सफाईकर्मी ने इस लावारिस फोन मिलने की सूचना ऑन ड्यूटी स्टेशन अधीक्षक वाणिज्य दीपक शर्मा को दी।

खोया-पाया

आरुषि बांठिया पुत्री संजय कुमार बांठिया 2-G-21 तलवंडी कोटा का आवंटन पत्र कब्जा पत्र भौतिक कब्जा पत्र व अदेय प्रमाण पत्र गुम हो गया है किसी को मिलने पर सूचित करें।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2024/1334 विज्ञप्ति दिनांक:- 17.10.24

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या 98.ई आर.के.पुरम योजना कोटा का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 543 दिनांक 21.12.2001 द्वारा श्री विनोद कुमार नामा पुत्र श्री रमेश कुमार को आवंटित किया गया था। आवंटी द्वारा नियुक्त मुख्तारआम/वसीयतनामा/इकरारनामा श्रीमती अखिलेश नामा पत्नी श्री हीरालाल नामा ने उक्त आवास/भूखंड का विक्रय जर्ये मुख्तारआम पत्र दिनांक 07.06.2016 को श्री हरीओम पुत्र श्री नन्द लाल को विक्रय कर दिया गया है। मुख्तारआम श्री हरीओम पुत्र श्री नन्द लाल ने उक्त आवास/भूखंड विक्रय श्रीमती कविता कुमारी पत्नी श्री सुन्दर दास के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी उक्त आवास/भूखंड का हस्तांतरण किए जाने में कोई आपत्ति हो तो 7 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या 98.ई योजना आर.के. पुरम के स्वामित्व हस्तान्तरण की स्वीकृति श्रीमती कविता कुमारी पत्नी श्री सुन्दर दास के नाम कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2024/1333 विज्ञप्ति दिनांक:- 17.10.24

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या 97.ई आर.के.पुरम योजना कोटा का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 888 दिनांक 28.12.2007 द्वारा श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री मुरारी लाल गुप्ता को आवंटित किया गया था। आवंटी द्वारा नियुक्त मुख्तारआम/वसीयतनामा/इकरारनामा श्रीमती अखिलेश नामा पत्नी श्री हीरालाल नामा ने उक्त आवास/भूखंड का विक्रय जर्ये मुख्तारआम पत्र दिनांक 07.06.2016 को श्री हरीओम पुत्र श्री नन्द लाल को विक्रय कर दिया गया है। मुख्तारआम श्री हरीओम पुत्र श्री नन्द लाल ने उक्त आवास/भूखंड विक्रय श्री ललित कुमार चान्दवानी पुत्र श्री सुन्दर दास चान्दवानी के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी उक्त आवास/भूखंड का हस्तांतरण किए जाने में कोई आपत्ति हो तो 7 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या 97.ई योजना आर.के. पुरम के स्वामित्व हस्तान्तरण की स्वीकृति श्री ललित कुमार चान्दवानी पुत्र श्री सुन्दर दास चान्दवानी के नाम कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2604 विज्ञप्ति दिनांक:-17.10.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बालिता में स्थित कृषि भूमि योजना बजाज नगर भूखंड संख्या 204 खसरा नं. 134, 186 आवेदक/आवेदिका श्री मोहम्मद उस्मान आत्मज श्री हाजी उस्मान निवासी मोची कटला घंटाघर कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु कोटा विकास प्राधिकरण कोटा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 1193 दिनांक 03.10.2013 को श्रीमती सईदा बानो पत्नी श्री मोहम्मद उस्मान के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 22.08.2021 को हो चुकी है। पट्टाधारी की मृत्यु के उपरांत जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 23.08.2024 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री मोहम्मद उस्मान आत्मज श्री हाजी उस्मान के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2024/1326 विज्ञप्ति दिनांक:- 16.10.24

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-88 स्वामी विवेकानन्द नगर योजना कोटा का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 65 दिनांक 09.09.2020 द्वारा श्रीमती हेमलता सोनी पत्नी श्री धर्मेन्द्र सोनी को आवंटित किया गया था। आवंटी द्वारा नियुक्त मुख्तारआम श्रीमती मंजू मलिक पत्नी श्री मनोज मलिक ने उक्त आवास/भूखंड का विक्रय जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 25.06.2024 को श्रीमती करुणा पांचाल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता श्रीमती करुणा पांचाल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद ने उक्त आवास/भूखंड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी उक्त आवास/भूखंड का हस्तांतरण किए जाने में कोई आपत्ति हो तो 7 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या 88 योजना स्वामी विवेकानन्द नगर के स्वामित्व हस्तान्तरण की स्वीकृति श्रीमती करुणा पांचाल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद के नाम कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2609 विज्ञप्ति दिनांक:-17.10.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना श्रीराम नगर कालोनी भूखंड संख्या 36-ए खसरा नं. 285, 286 आवेदक/आवेदिका श्री सुनील शुक्ला पुत्र स्व. श्री बाबूलाल निवासी नीमडी पाडा, अन्ता जिला बारां राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 10479 दिनांक 01.11.2011 को बाबूलाल शुक्ला पुत्र श्री मोतीलाल शुक्ला के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 24.03.2024 एवं माता कस्तुरी बाई की मृत्यु 07.08.2009 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पत्नी विमल देवी, पुत्र कमल कुमार शुक्ला, सुनिल शुक्ला, पुत्री मनोरमा व मधु है। वारिसान विमला देवी, कमल कुमार शुक्ला, मनोरमा व मधु द्वारा जर्ये रजि. रिलीज डीड दिनांक 16.07.2024 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री सुनील शुक्ला पुत्र स्व. श्री बाबूलाल के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3840 जाहिर आम सूचना दिनांक - 14.10.24

आवास संख्या 1-व-16 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती परमेश्वरी बाई पत्नी श्री केवलराम को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री केदार लाल शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण के नाम दिनांक 27.03.1999 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री केदार लाल शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा दिनांक 29.03.1999 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री केदार लाल शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण की मृत्यु दिनांक 03.11.1999 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री कान्ति प्रसाद पुत्र स्व. श्री केदार लाल, श्रीमती रेखा पुत्री स्व. श्री केदार लाल पत्नी श्री मनोज गौत्तम, श्रीमती मन्जू गौत्तम पुत्री स्व. श्री केदार लाल पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश गौत्तम एवं श्रीमती ममता गौत्तम पुत्री स्व. श्री केदार लाल पत्नी श्री दीपक शर्मा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड आलेखित कर दिनांक 29.07.2024 को श्रीमती सावित्री पत्नी स्व. श्री केदार लाल शर्मा के पक्ष में किया गया। श्रीमती सावित्री पत्नी स्व. श्री केदार लाल शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-व-16 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड के आधार पर श्रीमती सावित्री पत्नी स्व. श्री केदार लाल शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सावित्री पत्नी स्व. श्री केदार लाल शर्मा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सावित्री पत्नी स्व. श्री केदार लाल शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3872 जाहिर आम सूचना दिनांक - 17.10.24

आवास संख्या 5-सी-10 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री मंगराज पुत्र घीसा राम को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्री प्रकाश चंद भंडारी पुत्र श्री कन्हैया लाल भंडारी के नाम दिनांक 12.10.1998 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री प्रकाश चंद भंडारी पुत्र श्री कन्हैया लाल भंडारी द्वारा दिनांक 16.11.1998 को अपने पक्ष में करवाया गया। श्री प्रकाश चंद भंडारी पुत्र श्री कन्हैया लाल भंडारी की मृत्यु दिनांक 22.01.2010 को हो जाने के कारण उक्त आवास का हस्तांतरण वसीयत नामा के आधार पर दिनांक 29.03.2010 को श्रीमती मनीषा भंडारी पत्नी स्व. श्री प्रकाश चंद भंडारी के नाम किया गया। तत्पश्चात श्रीमती मनीषा भंडारी पत्नी स्व. श्री प्रकाश चंद भंडारी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 04.03.2022 को श्री महेश कुमार नागर पुत्र श्री गोबरीलाल को किया गया। श्री महेश कुमार नागर पुत्र श्री गोबरीलाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5-सी-10 महावीर नगर तृतीय कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री महेश कुमार नागर पुत्र श्री गोबरीलाल के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री महेश कुमार नागर पुत्र श्री गोबरीलाल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री महेश कुमार नागर पुत्र श्री गोबरीलाल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रय/2024/1335 विज्ञप्ति दिनांक 17.10.2024

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-342.ई आर.के.पुरम योजना कोटा का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 507 दिनांक 19.12.2001 द्वारा श्री नन्दलाल जैन पुत्र श्री फुलचन्द को आवंटित किया गया था। आवंटी द्वारा नियुक्त मुख्तारआम श्री बालचन्द विश्वकर्मा पुत्र श्री बापू लाल ने उक्त आवास/भूखण्ड का विक्रय जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 30.11.2010 को श्रीमती ललिता विश्वकर्मा पत्नि श्री बालचन्द विश्वकर्मा को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता श्रीमती ललिता विश्वकर्मा पत्नि श्री बालचन्द विश्वकर्मा ने उक्त आवास/भूखण्ड का नाम हस्तानांतरण हेतु आवेदन किया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी उक्त आवास/भूखण्ड का हस्तांतरण किए जाने में कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या 342.ई योजना आर.के.पुरम के स्वामित्व हस्तान्तरण की स्वीकृति श्रीमती ललिता विश्वकर्मा पत्नि श्री बालचन्द विश्वकर्मा के नाम कर दी जावेगी।

उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा